सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 07, गुरूवार, *शाके* 1941–नवम्बर 28, 2019 *Agrahayana 07, Thursday, Saka 1941–November 28, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, अक्टूबर 24, 2019

संख्या एफ 1/ RTU/यूनियन बहाली/2007-पार्ट-5/31084 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम,1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी"में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 855 में अंकित श्रम संघ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.1.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किया गया कारण बताओं (शॉ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा आय व्यय विवरण पूर्व में समयानुसार भिजवाते रहे है। एवम वे लगातार कार्यशील रहे है।

श्रम संघो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा सुना गया। प्रार्थना पत्रों में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ठ हूं। अतः मैं पंतजलि भू,रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान,जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघ का नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघ का विवरण

क्रम संख्या	**श्रम संघ का नाम एवं पता**	**पंजीयन संख्या**	**आदेश दिनांक 16/7/2019 में अंकित क्रम संख्या**
1.	लक्ष्मी सीमेन्ट मजदूर यूनियन"इन्टक"जे.के.पुरम,सिरोही	JDH/ARTU/07/2004	855

पतंजलि भू
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।